

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-30/8/2016

संख्या-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 151 / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं०.11109, दिनांक 12.08.16 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं०-369A सह पठित ज्ञापांक-53289-53305, दिनांक 20.08.16 के आलोक में श्री प्रभु नाथ प्रसाद, सब जज-1-सह-ए0सी0जे.एम0, गोपालगंज को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, भागलपुर में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी।

संख्या-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 152 / सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 11109, दिनांक 12.08.16 एवं महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना के अधिसूचना सं०-369A सह पठित ज्ञापांक-53289-53305, दिनांक 20.08.16 के आलोक में श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी, सी0जे0एम0, शेखपुरा को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा-7(2) के साथ पठित धारा-8 के अन्तर्गत श्रम न्यायालय, बेगूसराय में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर पदभार ग्रहण की तिथि से प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

2. इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि अधिकतम 3 (तीन) वर्षों की होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भुवनेश्वर मिश्रा)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं० 152 / पटना, दिनांक-30/8/2016  
प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ / महालेखाकार, बिहार, पटना / सम्बन्धित सभी कोषागार पदाधिकारी / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना / महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, पटना / मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना / श्रमायुक्त बिहार, पटना / निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना / निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना / मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना / मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक, बिहार, पटना / विधि विभाग, बिहार, पटना / पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, पटना / पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण, मुजफ्फरपुर / सभी संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार / सभी उप श्रमायुक्त, बिहार / मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी / आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।